20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

216

-1-

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

रा0 पुन0 क्रं0 । R. 2362-II/14

श्री एन0 के0 पटेल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
15 JUL 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

दिवेश पिता नंदकिशोर साहू उम्र लगभग
20 वर्ष निवासी इमलीखेड़ा जोड़ सड़क
बैपास इमलीखेड़ा तह0 मोहखेड़ा जिला छिन्दवाड़ा ----- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1- श्रीमति सुशीला बाई पति सम्पत साहू
उम्र54 साल निवासी राजेगांव तहसील मोहखेड़ा
जिला छिन्दवाड़ा

2- श्रीमति सरोज बाई पति ज्ञानचन्द साहू
उम्र लगभग 42 साल निवासी सिवसा तहसील
चौरई जिला छिन्दवाड़ा

3- श्रीमति सुनीता बाई पति गौरीशंकर
साहू उम्र 40 साल निवासी बटका रोड
हर्रई तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा

4- श्रीमति सुनीता बाई पिता राजेन्द्र साहू
उम्र 35 साल निवासी दीपाचीपुरा छिंदवाड़ा -------- प्रत्यर्थीगण

374

17-7-14

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

याचिकाकर्ता न्यायालय श्री अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाड़ा

-2

R2362. 11/14_ छिंदवाड़ा

द्वारा रा० अपील क्रमांक 140/अ-6/13-14 पक्षकार सुशीला बाई एवं अन्य विरुद्ध विवेश एवं अन्य में धारा 5 मियाद अधिनियम आवेदन पत्र पर पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3-6-2014 से परिपीड़ित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधि आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते है :-

विचारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यहकि प्रत्यर्थी। अपीलार्थी गणों द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय तहसीलदार मोहखेड़ा जिला छिन्दवाड़ा द्वारा नामान्तरण प्रकरण 68/अ-6/12-13 में याचिका कर्ता के पक्ष में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 29-4-13 से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थीगण ने प्रथम अपील प्रस्तुत कीथी तथा प्रस्तुत हुई अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता के दादा बाबू लाल ने अपने हिस्से में प्राप्त भूमि ख०नं० 65/3 रकबा 1.015 हे० की रजि० वसीयत नामा याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित कीथी जिसके आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा वसीयत में प्राप्त भूमि पर अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था ।

यहकि विचारण तहसीलदार द्वारा नामान्तरण नियमों तथा विधि प्रक्रिया का पालन करते हुऐ वसीयतनामा को प्रमाणित मानते हुऐ दिनांक 29-4-13 को याचिका कानाम आवेदित भूमि पर दर्ज करने के आदेश पारित किया गयाथा जिस पर प्रत्यार्थी गणों की आपत्ति थी कि प्रत्यर्थी गण मृतक पिता की वैध वारसान पुत्रियां थी जिसकी जानकारी

24-11-16	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। [signature] अध्यक्ष